

उच्चतम न्यायालय, भारत

गुरुनाथ उर्फ भीमा जी

बनाम

कमलाबाई काैम केनचंगा गौड़ नादगौदर वगैरह

सिविल अपील संख्या: 105/1953

दिनांक:


10.12.1954

(मेहरचंद महाजन, मुख्य न्यायाधीश, मुखर्जिया एस आर दास, न्यायाधीश, विवियान बोस, न्यायाधीश, भगवती न्यायाधीश, जगन्नाथदास, न्यायाधीश और वेंकटरामा अयर, न्यायाधीश)

1. न्यायालय का फैसला मेहर चंद महाजन, मुख्य न्यायाधीश, द्वारा दिया गया था।
2. यह अपील महत्व का सवाल उठाती है "क्या एक विधवा अपने जीवन के दौरान किसी भी समय उसे प्रदत्त या उसके पास मौजूद गोद लेने की शक्ति का उपयोग कर सकती है भले ही संपत्ति का कोई हस्तांतरण हो गया हो; या परिवार में परिवर्तन हो गया हो; या अन्य परिस्थितियाँ के चलते; और यहाँ तक कि एक पोते के आने के बाद भी

परंतु वह पोता बाद में अपनी विधवा पत्नी या बेटे को छोड़े बिना मर गया हो।”

3. जिस स्थिति में यह प्रश्न उठता है उसे निम्नलिखित वंशावली के संदर्भ में उचित रूप से समझा जा सकता है:



4. वादी गुरुनाथ का दावा है कि उन्हें 1943 में क्रिष्टाराव की विधवा गंगाबाई ने गोद लिया था। क्रिष्टाराव की 1890 में मृत्यु हो गई, जिससे उनकी दो विधवाएँ राधाबाई और गंगाबाई और एक पुत्र दत्तात्रय जीवित रहे। 1913 में दत्तात्रय की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी विधवा सुंदराबाई और एक पुत्र जगन्नाथ जीवित रहे। सुंदराबाई की मृत्यु दत्तात्रय के तुरंत बाद हो गई, जबकि जगन्नाथ की मृत्यु वर्ष 1914 में हुई। उनकी मृत्यु के लगभग 30 वर्षों के अंतराल के बाद, यह आक्षेप लगाया गया कि गंगाबाई, जो अपने बेटे और पोते दोनों की मृत्यु के पश्चात् भी जिन्दा रही,

ने वादी को गोद ले लिया, और इस तरह समस्या खड़ी हुयी, जिसे सुलझाने के लिये हमें बुलाया गया है।

5. 15 मार्च, 1944 को अपीलकर्ता ने एक गरीब की हैसियत से मुकदमा दायर किया (जिसे अंग्रेजी में 'in forma pauperis' कहा जाता है) तथा उक्त वाद से यह अपील इस आरोप पर उत्पन्न हुई कि अपीलकर्ता गुरुना क्रिष्टाराव के दत्तक पुत्र थे और क्रिष्टाराव की कनिष्ठ विधवा गंगाबाई ने उन्हें गोद लिया था, और इस तरह वह मुकदमे में शामिल अपने दत्तक पिता की संपत्तियों पर कब्जा के हकदार थे। अपीलकर्ता ने हुबली नगर पालिका द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए वादी के परिवार को देय मुआवजे की राशि के संबंध में एक घोषणा का दावा भी किया। प्रतिवादी, जो क्रिष्टाराव के पहले चचेरे भाई के बेटे और पोते हैं, ने वादी के गोद लेने पर इस आधार पर विवाद किया कि 1913 में जब दत्तात्रेय की मृत्यु हो गई, तो गंगाबाई की गोद लेने की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि दत्तात्रेय उनके पीछे एक विधवा सुंदराबाई और एक बेटा जगन्नाथ छोड़ गये थे, जो परिवार को आगे बढ़ा सकता था। गंगाबाई ने अपने लिखित बयान में वादी के दावे का समर्थन किया और दावा किया कि वरिष्ठ विधवा राधाबाई ने वादी को गोद लेने के लिए सहमति दी थी।

6. ट्रायल जज ने प्रतिवादियों के तर्क को सही बताया और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया। हालाँकि ट्रायल जज ने वादी के गोद लेने

के तथ्य को बरकरार रखा गया था, और आगे यह निष्कर्ष निकाला कि राधाबाई ने गोद लेने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी। अपील पर इस फैसले की उच्च न्यायालय ने पुष्टि की और यह माना गया कि गंगाबाई की गोद लेने की शक्ति उस समय समाप्त हो गई जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई और परिवार की वंशावली जारी रखने के लिए एक बेटा और एक विधवा रह गई। उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया कि क्या राधाबाई ने गोद लेने के लिए अपनी सहमति दी थी, परंतु विवाद खत्म करने का शायद यही सबसे आसान तरीका होता। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह अपील एक गरीब की हैसियत से (*in forma pauperis*) विशेष अनुमति के माध्यम से अब हमारे समक्ष है।

7. अपील में उठाया गया एकमात्र प्रश्न वादी के गोद लेने की वैधता के संबंध में है। यह तर्क दिया गया कि हिंदू शास्त्रीय कानून स्वयं विधवा को गोद लेने की शक्ति प्राप्त होने पर या उक्त शक्ति उसके पास होने पर उसके द्वारा उस शक्ति के प्रयोग की कोई सीमा तय नहीं करता है, और ऐसा होने पर, वह शक्ति का प्रयोग अपने जीवन काल के दौरान कर सकती है, यदि उसके पति के वंश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिये उस शक्ति का अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है। दूसरी ओर यह तर्क दिया गया कि यद्यपि हिंदू शास्त्रीय कानून स्वयं विधवा के गोद लेने की शक्ति के प्रयोग की कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है, फिर भी यह लंबे समय से न्यायिक

रूप से स्थापित है कि विधवा के गोद लेने की शक्ति असीमित और निरंकुश नहीं है, और उक्त शक्ति तब समाप्त हो जाती है जब विधवा के वंश का एक और उत्तराधिकारी जीवित है और उसने वंश को जारी रखने का कर्तव्य दूसरे को सौंप दिया है। यह प्रश्न कि किस समय विधवा का पति के वंश को जारी रखने का कर्तव्य समाप्त हो जाता है, भारतीय उच्च न्यायालयों और प्रिवी काउंसिल के कई निर्णयों का विषय रहा है और हमारे विचार का मुद्दा यह है कि क्या इन निर्णयों में निर्धारित सीमाएँ मनमाने ढंग से तय की गई हैं और ये ठोस सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं और हमें इनकी समीक्षा करनी चाहिए।

8. वर्तमान समय में इस विषय पर कानून की स्थिति की उचित सराहना के लिए प्रिवी काउंसिल के विभिन्न निर्णयों का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक है।

9. इस बिंदु पर दो प्रमुख मामले प्रिवी काउंसिल के निर्णय हैं जो श्रीमती चुंद्राबुली द्वारा गोद लेने से उत्पन्न हुए थे और 1876 और 1878 में तय किए गए थे। इनमें से पहले मामले भूबुन मोयी बनाम राम किशोर में निर्णय लॉर्ड किंग्सडाउन द्वारा पारित किया गया था। उस मामले में एक व्यक्ति गौर किशोर की मृत्यु हो गई और वह एक पुत्र भवानी और एक विधवा चुंद्राबुली को छोड़ गया, और अपनी विधवा को उसने अपने बेटे की मृत्यु की स्थिति में गोद लेने का अधिकार दिया था। भवानी की शादी हुयी

और बिना किसी संतान के 24 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विधवा भूबुन मोई जीवित रहीं। इसके बाद चुंद्राबुली ने राम किशोर को गोद ले लिया। राम किशोर ने संपत्ति की प्राप्ति के लिए भूबुन मोई के खिलाफ मुकदमा दायर किया। प्रिवी काउंसिल ने माना कि राम किशोर का दावा इस आधार पर विफल हो गया कि भले ही वह भवानी की मृत्यु के समय अस्तित्व में थे, लेकिन वह उनकी विधवा को विस्थापित नहीं कर सकते थे। प्रिवी काउंसिल ने आगे यह तय किया कि जिस समय चुंद्राबुली ने गोद लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का दावा किया था, उस समय उस शक्ति इस आधार पर अनुपयोगी थी कि भवानी ने शादी कर ली थी और एक विधवा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ दिया था"। लॉर्ड किंग्सडाउन के फैसले के निम्नलिखित उद्धरण को निर्णयों के कारणों को इंगित करने के लिए उद्धृत किया जा सकता है:

"इस मामले में भवानी किशोर उस उम्र तक जीवित रहे थे जब वह अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में सक्षम था, और यह माना जाना चाहिए कि उसने उन सभी धार्मिक कर्तव्यों को निभाया जो एक पुत्र अपने पिता के लिए कर सकता है। वह पैतृक संपत्ति को बतौर उत्तराधिकारी ग्रहण कर चुका था; उसके पास उस संपत्ति के प्रबंध की पूरी शक्ति

थी; वह उस संपत्ति को बेच सकता था; यदि उसके कोई पुत्र नहीं होता तो वह अपने उत्तराधिकारी के तौर पर एक लड़के को गोद ले सकता था। वह संपत्ति के संबंध में अपने पिता के हर इरादे को विफल कर सकता था, अर्थात् वह उक्त संपत्ति का मनमाना इस्तेमाल करने हेतु स्वतंत्र था।"

"भवानी किशोर की मृत्यु पर उसकी पत्नी उसके उत्तराधिकारी के रूप में सफल हुई और उसके भाइयों को छोड़कर, यदि उसके कोई भाई होते, वह उत्तराधिकारी के चरित्र में समान रूप से सफल होतीं। उसने अपने पति की पूरी संपत्ति में से उसकी विधवा के रूप में, एक निहित संपत्ति ले ली। यह विलक्षण होगा यदि गोद लेने के द्वारा बनाया गया भवानी किशोर का एक भाई, उसकी विधवा से उसकी पूरी संपत्ति ले सकता है, जबकि जन्मजात भाई कोई हिस्सा नहीं ले सकता था। यदि राम किशोर को पैतृक संपत्ति में से कोई भी हिस्सा लेना है, तो उसे वह सब हिस्सा लेना होगा जो प्राकृतिक रूप से जन्मा बेटा लेता, न कि जो प्राकृतिक रूप से जन्मे बेटे के साथ संयुक्त रूप से... सवाल यह है कि क्या उसके बेटे की असीमित संपत्ति

होने के चलते और उस बेटे के शादी कर लेने के पश्चात् और एक विधवा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ देने के पश्चात् और उस उत्तराधिकारी के विधवा के रूप में अपने पति की संपत्ति में निहित संपत्ति हासिल कर लेने के पश्चात् गोद लिया गया एक उत्तराधिकारी चुंद्राबुली के मृतक पुत्र की विधवा को अपने पति की निहित संपत्ति से बेदखल कर सकता है, जबकि ऐसे बेदखली गौर किशोर का एक वैध पुत्र भी नहीं कर सकता था। यह तर्क सभी कारणों और हिंदू कानून के सभी ज्ञात सिद्धांतों के विपरीत लगता है।"

10. यदि भवानी किशोर की अविवाहित मृत्यु हो जाती, तो उनकी मां चुंद्राबुली देवी उसकी उत्तराधिकारी होतीं और गोद लेने का प्रश्न बिल्कुल अलग आधार पर खड़ा होता। गोद लेने की शक्ति का प्रयोग करके, उसने अपनी संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति का विनिवेश नहीं किया होता, और इससे मामला सामान्य नियम के अंतर्गत आ जाता; लेकिन कोई न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नहीं किया गया है, पाठ्यपुस्तकों से कोई निर्णय उद्धृत नहीं किया गया है, और यह दिखाने के लिए कोई सिद्धांत नहीं बताया गया है कि एक विधवा को गोद लेने की शक्ति मात्र से, मृत बेटे के

उत्तराधिकारी में निहित उसकी संपत्ति से उक्त उत्तराधिकारी को बेदखल किया जा सकता है।”

11. परिणाम स्वरूप राम किशोर का मुकदमा खारिज कर दिया गया।

12. भूबुन मोई और चुंद्राबुल्ली की मृत्यु के बाद, राम किशोर को 1869 में चुंद्राबुल्ली, जिसने 1867 में बबुन मोई की मृत्यु के पश्चात् भवानी किशोर की माँ और अपने पुत्र के अगले उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति का कब्जा हासिल किया था, द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित एक त्याग पत्र के तहत संपत्ति का कब्जा मिला। यदि राम किशोर का गोद लेना सही था तो वह निस्संदेह संपत्ति का अगला उत्तराधिकारी था, परंतु एक दूर के संपार्श्विक ने इस आधार पर संपत्ति पर दावा किया कि रामकिशोर को गोद लेना अमान्य था। प्रिवी काउंसिल ने तब माना कि संपत्ति के भवानी की विधवा में निहित हो जाने पर, चुंद्राबुल्ली को गोद लेने की शक्ति समाप्त हो गई थी और गोद लेने की उसकी शक्ति का निष्पादन सक्षम नहीं था” और इसलिए राम किशोर का संपत्ति पर कोई हक नहीं था। यह पट्टा कोमारी बनाम कोर्ट ऑफ वाइर्स में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें चुंद्राबुल्ली द्वारा रामकिशोर को गोद लेने की वैधता को सही ठहराने का दूसरा प्रयास रामकिशोर द्वारा किया गया था लेकिन सफलता नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने पट्टा कोमारी मामले में अपने फैसले में टिप्पणी की कि भूबुन मोई बनाम राम

किशोर के फैसले ने यह तय नहीं किया कि चुंद्राबुली प्राकृतिक रूप से जन्मे बेटे के पुत्र या पहले दत्तक पुत्र के पुत्र की मृत्यु पर गोद नहीं ले सकती और यदि चुंद्राबुली ने भूबुन मोई की मृत्यु पर गोद लिया होता और अपनी संपत्ति उस गोद लिये पुत्र में निहित कर दी होती, बेच दी होती, तो प्रिवी काउंसिल के फैसले और कानून में उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं होता जो उसके पति ने उसे करने के लिए अधिकृत किया था, और जो निश्चित रूप से उसके और उसके पूर्वजों के आध्यात्मिक लाभ के लिए होगा, और यहां तक की भवानी किशोर के लिये भी उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने इस प्रकार टिप्पणी की।

"इसलिए, पूरे सम्मान के साथ, हम कल्पना करते हैं कि लार्ड किंग्सडाउन ने अनजाने में, परदादा के लिए एक बेटे को गोद लेने के विचार के संदर्भ में कहा होगा, कि उस समय एक बेटे के सभी आध्यात्मिक उद्देश्य संतुष्ट हो जाते और फिर भवानी किशोर उस उम्र तक जीवित रहे थे जब वह अपने पूर्वजों के संबंध में सभी धार्मिक कर्तव्य पूरे करने में सक्षम था और यह माना जा सकता है कि उसने वे सभी धार्मिक कर्तव्य पूरे किये जो एक बेटा एक पिता के लिए कर सकता था । वास्तव में ऐसा कोई समय नहीं है जब

धार्मिक कर्तव्य को निभाना अंततः पूरा हो जाता है या जब उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है।”

13. इस पर सर रिचर्ड काउच, जिन्होंने प्रिवी काउंसिल का निर्णय सुनाया, ने इन शब्दों में बहुत जोरदार उत्तर दिया:

“ निचली अदालतों ने प्रिवी काउंसिल के फैसले से यह समझा कि प्रिवी काउंसिल के अनुसार विधवा के लिए एक नए उत्तराधिकारी का प्रतिस्थापन निस्संदेह निर्णय लेने का प्रश्न था, और ऐसा प्रतिस्थापन अस्वीकृत हो सकता था, परंतु गोद लेने को अन्य सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जा रहा है; लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रिवी काउंसिल के फैसले का यह इरादा था। उनके अनुसार प्रिवी काउंसिल का निष्कर्ष यह था कि भवानी की विधवा में संपत्ति निहित हो जाने की स्थिति में गोद लेने की शक्ति समाप्त हो गई थी, और उस शक्ति का निष्पादन संभव नहीं था। और यदि यह प्रश्न बिना किसी पूर्व निर्णय के उनके सामने आया होता, तो वे यही राय जाहिर करते। अनुमति विलेख द्वारा गोद लेने का इरादा ज़मींदारी और अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार के

साथ-साथ धार्मिक सेवाओं के निर्वहन के लिए था और भले ही स्वयं भवानी में अपने पिता के पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति निहित नहीं होने पर भी यदि उसकी विधवा में उक्त संपत्ति निहित होती तब भी यह गोद लेने के अधिकार की शक्ति के प्रयोग की उचित सीमा थी।”

14. चंद्राबुल्ले श्रृंखला के निर्णयों में बताए गए विधवा की गोद लेने की शक्ति पर सीमाओं के प्रश्न की न्यायिक समिति द्वारा थायम्मल और कुट्टीस्वामी अयान बनाम वेंकटराम अयान में 1887 में और ताराचुर्न बनाम सुरेश चंदर में 1889 में फिर से पुष्टि की गई थी।

15. वर्ष 1902 में यह प्रश्न रामकृष्ण रामचन्द्र बनाम शामराव मामले में बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। वहाँ एक दादी अपने पोते की उत्तराधिकारी बनी जो अविवाहित मर गया था और यह माना गया कि गोद लेने की उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी और गोद लेना अमान्य था। चंदावरकर, जज, जिन्होंने पूर्ण पीठ का निर्णय सुनाया, ने इन शब्दों में सिद्धांत को प्रतिपादित किया।

“जहां एक हिंदू एक विधवा और एक बेटे को छोड़कर मर जाता है, और वह बेटा एक जन्मजात या दत्तक पुत्र को

छोड़कर मर जाता है या गोद लेने के माध्यम से वंश को जारी रखने के लिए अपनी विधवा के अलावा कोई बेटा नहीं छोड़ता है, तो पूर्व विधवा की गोद लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वह शक्ति कभी पुनर्जीवित नहीं हो सकती।”

16. इस सिद्धांत को मदन मोहना बनाम पुरूषोत्तम देव में न्यायिक समिति द्वारा इन शब्दों में अनुमोदित और लागू किया गया था :

“ इस बेन्च के विद्वान न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले में निर्धारित सिद्धांत से सहमत हैं, और उनकी राय है कि, वर्तमान मामले के तथ्यों पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में पारित सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए और इस आधार पर आदिकोंडा की विधवा को प्रदत्त गोद लेने का अधिकार तब समाप्त हो गया जब ब्रोजो, जिस बेटे को उसने मूल रूप से गोद लिया था, प्राकृतिक रूप से जन्मे बेटे के जन्म या उसकी विधवा द्वारा वंश को जारी रखने के लिये गोद लिये गये पुत्र की पूरी कानूनी क्षमता प्राप्त करने के बाद मर गया।”

17. इस मामले के संबंध में न्यायिक समिति का अगला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वर्ष 1933 में अमरेंद्र मानसिंह बनाम सनातन में दिया गया था, जहां पुराने सिद्धांत से थोड़ा विचलन था या कम से कम पुनर्संरचना थी और लौकिक पहलू के बजाय आध्यात्मिक तत्व पर जोर दिया गया और गोद लेने को संपत्ति के निहितार्थ और विनिवेश के साथ जोड़ा गया। उस मामले में बनारस स्कूल द्वारा शासित एक हिंदू के पास एक शिशु पुत्र और एक विधवा थी, जिसे उसने बेटे के मरने की स्थिति में गोद लेने का अधिकार दिया था। पुत्र अपने पिता की अथाह जमींदारी का उत्तराधिकारी बना, लेकिन 20 वर्ष और 6 महीने की उम्र में अविवाहित मर गया। परिवार की एक प्रथा के अनुसार, जिसमें महिलाओं को विरासत से बाहर रखा गया था, संपत्ति उसकी मां के पास नहीं गई, बल्कि दूर की संपार्श्विक में निहित हो गई। बेटे की मौत के एक हफ्ते बाद उस विधवा ने एक पुत्र गोद ले लिया। यह माना गया कि गोद लेना वैध था और इसने संपार्श्विक में विरासत द्वारा निहित संपत्ति को विनिवेशित कर दिया। इस मामले में पिछले सभी निर्णयों की समीक्षा सर जॉर्ज लॉन्डेस द्वारा की गई जिन्होंने बोर्ड का निर्णय सुनाया। रिपोर्ट के पृष्ठ 248 पर यह इस प्रकार कहा गया है -

"उनकी राय में, यह स्पष्ट है कि गोद लेने के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की नींव वह कर्तव्य है जो प्रत्येक हिंदू का अपने पूर्वजों के प्रति है कि वह इस वंश को जारी रखे और आवश्यक संस्कारों का निर्वहन करे और यदि यह कर्तव्य एक नई पीढ़ी को सौंप दिया गया है, जो इसे जारी रखने में सक्षम है, तो पिता का कर्तव्य पूरा हो गया है और इसकी पूर्ति के लिए उसके द्वारा प्रदान किए गए साधन खर्च हो गए हैं: पिता का बकाया ऋण चुका दिया गया है और अब कर्तव्य नई पीढ़ी पर डाल दिया गया है और ऋण का बोझ खत्म हो गया है।"

"वे सोचते हैं, इसमें शायद ही संदेह किया जा सकता है कि इस सिद्धांत में संपत्ति का हस्तांतरण, जो कि बेटे के अंतर्निहित अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, पूरी तरह से एक कमतर श्रेणी का विचार है..... कि किसी को गोद लेने की वैधता का निर्धारण अस्थायी लौकिक विचारों के बजाय आध्यात्मिक आधार पर किया जाना चाहिए ; कि आध्यात्मिक कारणों से मृतक के पुत्र का प्रतिस्थापन इस

चीज का सार है, और इसके परिणामस्वरूप संपत्ति का हस्तांतरण महज एक सहायक वस्तु है।”

“पुत्रत्व की धार्मिक प्रभावकारिता के इस सुस्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उनका मानना है कि पुत्रहीन व्यक्ति की विधवा द्वारा किसी को अधिकृत रूप से गोद लेने के अधिकार को खत्म करने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए, हिंदू कानून स्वयं इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है विधवा के जीवनकाल के दौरान शक्ति का प्रयोग और वंश की निरंतरता में क्रमिक गोद लेने की वैधता अब अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। न ही आधिकारिक ग्रंथ संपत्ति के किसी भी विचार से शक्ति के प्रयोग को सीमित करते प्रतीत होते हैं। लेकिन इसके अभ्यास की कुछ सीमा होनी चाहिए, या हर हाल में कुछ स्थितियाँ होनी चाहिए जिनमें इसे जारी रखना या तो हिंदू सिद्धांत की भावना के विपरीत होगा, या इसे प्रभावी होने की अनुमति देना अन्य अधिकारों की अवहेलना होगा, यह मत भारत में न्यायालयों और इस बोर्ड दोनों द्वारा लंबे समय से मान्यता प्राप्त है, और इस कठिन प्रश्न पर है कि सीमा कहां खींची जानी

चाहिए, और किस सिद्धांत पर, वर्तमान मामले में तर्क मुख्य यही हैं।"

18. फैसले के दूसरे हिस्से में सम्माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि -

"उपर्युक्त निर्णयों में यह स्पष्ट है कि पोते, या बेटे की विधवा के हस्तक्षेप से मां की गोद लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन केवल बेटे का जन्म ऐसा नहीं करता है, और यह संपत्ति के निहितार्थ या विनिवेश के प्रश्न पर आधारित नहीं है, हमारा मानना है कि वास्तविक कारण यह होना चाहिए कि जहां आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए वंश को जारी रखने का कर्तव्य पिता पर था, और उसके द्वारा सशर्त रूप से मां पर रखा गया था, जिसे पुत्र द्वारा ग्रहण किया गया है और उसके द्वारा पोते या पुत्र की विधवा को यह कर्तव्य दे दिया गया है, तो माँ की शक्ति चली गई है। लेकिन यदि पुत्र स्वयं पुत्रहीन और अविवाहित मर जाता है, तो कर्तव्य अभी भी माँ पर होगा, और गोद लेने की शक्ति

*माँ पर होगी तथा जो शक्ति बेटे के जीवनकाल के दौरान
निलंबित कर दी गयी थी, पुनर्जीवित हो जायेगी।"*

19. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने ऊपर उद्धृत प्रिवी काउंसिल के फैसले के अनुच्छेद में अंतिम वाक्य पर भरोसा किया और तर्क दिया कि यदि विधवा की गोद लेने की शक्ति, जो बेटे के जीवनकाल में निलंबित रहती थी, वह बेटे के पुत्रहीन और अविवाहित मरने पर पुनर्जीवित हो सकती है तो तार्किक रूप से पुत्र और उसकी विधवा और पोते और उसकी विधवा सभी के मर जाने पर भी शक्ति पुनर्जीवित होनी चाहिए। पहले से उद्धृत परिच्छेद पर भी भरोसा किया गया था जिसमें इस प्रस्ताव पर जोर दिया था कि आध्यात्मिक कारणों से मृतक के बेटे का प्रतिस्थापन इस चीज का सार है, और इसके परिणामस्वरूप संपत्ति का हस्तांतरण इसके लिए एक सहायक मात्र है और यह तर्क दिया गया था कि अमरेंद्र के फैसले में प्रतिपादित सिद्धांत को देखते हुए, जिन आधारों पर चंद्राबुलली श्रृंखला के फैसलों में विधवा की शक्ति के प्रयोग पर एक बाहरी सीमा रखी गई थी, वे अब महत्व की नहीं हैं और यह माना गया है कि गोद लेने की शक्ति संपत्ति के हस्तांतरण या संपत्ति के निहितार्थ या विनिवेश के प्रश्न से जुड़ा नहीं है और जब भी वंश को जारी रखने की आवश्यकता होती है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, यह माना जाना चाहिए कि जब बेटा

और उसकी विधवा मर गए और पोते को जिसे उन्होंने वंश जारी रखने के लिए मशाल सौंपी, वह भी मर गया, गोद लेने की गंगाबाई की शक्ति पुनर्जीवित हो गई और इस प्रकार गोद लेना वैध हो गया। यह तर्क, हमारी राय में, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है क्योंकि यह इस फैसले में बताए गए नियम के वास्तविक आधार की गलत धारणा पर आधारित है। वास्तव में नियम यह है कि "जहां आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए लाइन की निरंतरता प्रदान करने का कर्तव्य है जो पिता पर था और उसके द्वारा सशर्त रूप से उक्त कर्तव्य माँ पर डाला गया था, जिसे पुत्र द्वारा ग्रहण कर लिया गया है और उसके द्वारा पोते या पुत्र की विधवा को दे दिया गया है, माँ की शक्ति चली गई है"। जस्टिस चंदावरकर के शब्दों में, जिसे मदन मोहना बनाम पुरुषोत्तम देव में न्यायिक समिति द्वारा पुष्ट किया गया है, "एक बार शक्ति समाप्त हो जाने पर इसे बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है"। दूसरे शब्दों में सच्चा नियम यह है -

"जब कोई पुत्र पूर्ण कानूनी योग्यता प्राप्त करने से पहले मर जाता है और अपने पीछे न तो विधवा छोड़ता है, न पुत्र, न दत्तक पुत्र, तो उसके जीवनकाल के दौरान माँ की गोद लेने की जो शक्ति स्थगित थी, वह पुनर्जीवित हो जाती है, लेकिन जिस क्षण वह इस जिम्मे को किसी दूसरे को

सौंपता है, माँ की गोद लेने की शक्ति कभी पुनर्जीवित नहीं हो सकती।”

20. विद्वान वकील का यह तर्क कि भले ही दूसरी पीढ़ी वंश को जारी रखने के लिए कदम उठाए बिना मर जाए, फिर भी दादी अपने अधिकार को बरकरार रखती है और अभी भी वंश को जारी रखने का कर्तव्य उसी पर है, सही नहीं कहा जा सकता।

21. प्रिवी काउंसिल ने अमरेंद्र के मामले में जो तीन सिद्धांत प्रतिपादित किये, उन पर अब सवाल नहीं उठाया जा सकता। इन प्रस्तावों को निम्न प्रकार से संक्षिप्त रूप से लिखा जा सकता है:

(1) कि पोते, या बेटे की विधवा की गोद लेने की प्रक्रिया के जरिये वंश जारी रखने में सक्षम रहने पर मां की गोद लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है;

(2) गोद लेने की शक्ति संपत्ति के निहितार्थ या विनिवेश के किसी भी प्रश्न पर निर्भर नहीं करती है; और

(3) किसी मां का गोद लेने का अधिकार केवल इस तथ्य से समाप्त नहीं हो जाता कि उसके बेटे ने औपचारिक योग्यता प्राप्त कर ली है।

22. अमरेंद्र के मामले में प्रतिपादित नियम को बाद में विजयसिंगजी बनाम शिवसंगजी में लागू किया गया था और अनंत भीकप्पा पाटिल बनाम शंकर रामचंद्र पाटिल में विधवा की गोद लेने की शक्ति पर सीमाओं को बताते हुए एक ठोस नियम के रूप में इसे फिर से दोहराया और पुष्टि की गई थी। इस निर्णय में दिए गए प्रस्तावों में से एक को श्रीनिवास कृष्णराव कांगो बनाम नारायण देवजी कांगो मामले में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इसके अलावा उपरोक्त नियम पर इस निर्णय में कोई संदेह नहीं था।

23. निर्णयों की इन शृंखलाओं का परिणाम यह है कि अब लगभग तीन चौथाई सदी से यह नियम कि "किसी विधवा की गोद लेने की शक्ति पोते या पुत्र की विधवा द्वारा गोद लेने में सक्षम होने से समाप्त हो जाती है" हिंदू कानून का हिस्सा बन गया है, हालाँकि शक्ति को सीमित करने के कारणों का पता किसी भी शास्त्रीय लेखों में नहीं लगाया जा सकता है; और हो सकता है कि कई निर्णयों में अलग-अलग रूप से कहा गया हो। यह सर्वविदित है कि किसी स्पष्ट शास्त्रीय पाठ के अभाव में अदालतों को न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के आधार पर मामलों का फैसला करने का अधिकार है और यह कहना सही नहीं है कि नियम के समर्थन में बताए गए कारण इन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। बहस के दौरान इस सुझाव के समर्थन में कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है कि उक्त नियम

या तो असमान या अन्यायपूर्ण है या गोद लेने के हिंदू कानून के किसी भी सिद्धांत या विचारधारा के प्रतिकूल या असंगत है। इस स्थिति में हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि यह कहने में बहुत देर हो चुकी है कि विधवा की गोद लेने की शक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो उसके पति के गोद लेने की शक्ति को सीमित करती हैं, यथा वह पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र की उपस्थिति में गोद नहीं ले सकती। हिंदू कानून आम तौर पर और विशेष रूप से विरासत, अलगाव और गोद लेने के मामलों में विधवा को सीमित चरित्र की शक्तियां देता है और ऊपर दिए गए निर्णयों के द्वारा निर्धारित सीमाओं में उस कानून के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। ऊपर दिए गए कारणों से, हम इस नियम से हटने में असमर्थ हैं कि एक विधवा की गोद लेने की शक्ति पोते या बेटे की विधवा के हस्तक्षेप से समाप्त हो जाती है जो गोद लेने के द्वारा वंश को जारी रखने में सक्षम है।

24. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में भारतीय उच्च न्यायालयों के दो फैसलों पर काफी भरोसा किया और सुझाव दिया कि अमरेंद्र के मामले में निर्धारित नियम वर्तमान मामले और मृत्यु पर उत्पन्न स्थिति पर लागू नहीं होता है तथा पोते की मृत्यु पर विधवा की गोद लेने की शक्ति जो पोते के जीवन के दौरान स्थगित थी, पुनर्जीवित हो गई। इस संबंध में मैं नागपुर उच्च न्यायालय के फैसले बापूजी बनाम

गंगाराम का संदर्भ दिया गया था। वहां एक हिंदू एक विधवा और अपने बेटे को छोड़कर मर गया और तत्पश्चात् उसका बेटा एक विधवा को छोड़कर मर गया जिसने दोबारा शादी की थी। यह माना गया कि बेटे की विधवा के पुनर्विवाह पर माँ की गोद लेने की शक्ति पुनर्जीवित हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इस तर्क हेतु उच्च न्यायालय ने न्यायिक समिति द्वारा पारित अमरेंद्र के मामले के निर्णय से बल प्राप्त किया था, जैसा कि उस निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण से प्रतीत होता है:

"यदि अमरेंद्र मानसिंह बनाम सनातन सिंह के फैसले से उद्धृत अवलोकन को इस प्रकार के मामलों तक ही सीमित समझा जाए जहां विधवा डी या पोता ई, पोते की विधवा सी और उसकी शक्ति के बीच में खड़े हैं, वहां सब कुछ स्पष्ट है, सिवाय रामकृष्ण बनाम शामराव फैसले से उद्धृत शब्द "और इसे कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता "के। वास्तव में उपर्युक्त विधिक सिद्धांत ही अमरेंद्र मानसिंह बनाम सनातन सिंह में इस्तेमाल शब्दों का सही अर्थ है। इसका इससे अधिक कुछ मतलब नहीं है कि जबकि डी या ई जीवित है तथा गोद लेने हेतु सक्षम हैं, वहां उनका जीवित अस्तित्व सी द्वारा किए जाने वाले किसी भी गोद लेने को रोकता है।

परंतु यह इस बारे में बात नहीं करता कि बेटे डी की मृत्यु होने पर क्या होगा। तर्क कहता है कि बेटे की मृत्यु उसकी "अंतर-स्थिति" को हटा देती है, और बेटे की मृत्यु होने पर बेटे की विधवा सी की गोद लेने की शक्ति पुनर्जीवित हो जाती है।"

25. हमारे मत में नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त वर्णित निर्णय में दिये गये तर्क में न केवल एक स्पष्ट भ्रांति है, बल्कि यह अमरेंद्र के मामले में प्रतिपादित नियम के सही कारणों की गलत व्याख्या पर आधारित है। अमरेंद्र के मामले में नियम का कारण था "जहां आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए वंशावली को जारी रखने का कर्तव्य पिता पर था, और उसके द्वारा सशर्त रूप से मां पर यह भार थोपा गया तथा उक्त भार को बेटे द्वारा ग्रहण किया गया और उसके द्वारा पोते या बेटे की विधवा को सौंप दिया गया, तब मां की गोद लेने की शक्ति समाप्त हो गई। यदि यह सही कारण है, तो स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक उद्देश्यों के संबंध में कर्तव्य समाप्त हो जाने के पश्चात् तार्किक आधार पर उक्त कर्तव्य पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारी स्पष्ट राय है कि बापूजी बनाम गंगाराम के निर्णय में पारित सिद्धांत गलत था। दूसरा निर्णय जिसका संदर्भ दिया गया था वह लखनऊ कोर्ट का प्रेम जगत कुअर बनाम हरिहर

बखश सिंह मामले में पारित निर्णय है। उस मामले में विद्वान न्यायाधीशों ने ऊपर उद्धृत नागपुर उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किया, और आगे जोड़ा (हालांकि कुछ गलतफहमी के तहत) कि इस निर्णय को प्रिवी काउंसिल के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा अनुमोदित किया गया था। वास्तव में, उसी मामले में एक अलग प्रश्न पर एक और निर्णय को उद्धार्य किया गया था जिसे प्रिवी काउंसिल ने बरकरार रखा था, न कि ऊपर उल्लिखित निर्णय। इसलिए इस स्पष्ट त्रुटि के चलते लखनऊ कोर्ट का उपर्युक्त वर्णित फैसला काफी हद तक निष्प्रभावी हो गया है और अन्यथा भी यह निर्णय नागपुर उच्च न्यायालय के मामले में निहित कारणों के अलावा अपना कोई स्वतंत्र कारण नहीं देता है।

26. ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन मामले की परिस्थितियों को देखते हुये हम लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।

27. अपील खारिज।

सीताराम चौधरी,

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जैसलमेर

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री सीता राम चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।